



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243877
CG-DL-E-24022023-243877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]
No. 129]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्
प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2023

फा.सं. 18-29/2705-आईएनसी:—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, लक्ष्मी अम्मल स्कूल ऑफ नर्सिंग, नं. 17A, वरथनार स्ट्रीट, चेंगलपट्टु, जिला कांचीपुरम-603001, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य सरकार और तमिलनाडु नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल से जीएनएम कोर्स चलाने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, सचिव, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार, चौथी मंजिल, फॉर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई - 600009, तमिलनाडु को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-29/2705-आईएनसी/17647 दिनांक 22/03/2021 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 22/03/2021 की एक प्रति लक्ष्मी अम्मल स्कूल ऑफ नर्सिंग, नं. 17A, वरथनार स्ट्रीट, चेंगलपट्टु, जिला कांचीपुरम - 603001, तमिलनाडु को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, लक्ष्मी अम्मल स्कूल ऑफ नर्सिंग के मामले में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश नहीं मिली है। और लक्ष्मी अम्मल स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

जबकि, भारतीय उपचर्या परिषद् ने दिनांक 04/09/2020 को एक पत्र जारी कर संस्था को सूचित किया कि दो (2) वर्षों से कोई प्रवेश न होने के कारण संस्था को जीएनएम के लिए बंद माना गया है। प्रवेश नहीं होने का वास्तविक अर्थ यह होगा कि संस्थान के पास अपेक्षित शिक्षण, नैदानिक या आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं।

अतः इसलिए, भारतीय उपचर्या परिषद् धारा 14(3)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि 25/06/2022 से लक्ष्मी अम्मल स्कूल ऑफ नर्सिंग, नं. 17A, वरथनार स्ट्रीट, चेंगलपट्टु, जिला कांचीपुरम – 603001, तमिलनाडु से जीएनएम की योग्यता प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति तमिलनाडु राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल तमिलनाडु राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले.कर्मल(डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./655/2022-23]

**INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 22nd February, 2023

F.No. 18-29/2705-INC:— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Lakshmi Ammal School of Nursing** situated at **No. 17A, Varathanar Street, Chengalpattu, Distt. Kancheepuram – 603001, Tamilnadu** is recognized by State Government of Tamilnadu and Tamilnadu Nurses and Midwives Council to conduct GNM Course.

Whereas, a notice no. 18-29/2705-INC/17647 dated 22/03/2021 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Secretary (Health & FW), Department of Health and Family Welfare, Government of Tamilnadu, 04th Floor, Fort St. George, Secretariat, Chennai – 600009, Tamilnadu was issued. Copy of the notice dated 22/03/2021 was also enclosed to **Lakshmi Ammal School of Nursing** situated **No. 17A, Varathanar Street, Chengalpattu, Distt. Kancheepuram – 603001, Tamilnadu**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Lakshmi Ammal School of Nursing**. Even the institution **Lakshmi Ammal School of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, Indian Nursing Council issued a letter dated 04/09/2020 informing the institution that institution has been considered as **closed for GNM** due to non-admission since two (2) years. Non-admission would ipso facto mean that the institution does not possess the requisite Teaching, Clinical or infrastructural facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) declares that with effect from 25/06/2022 any person holding a recognized qualification of GNM from **Lakshmi Ammal School of Nursing** situated at **No. 17A, Varathanar Street, Chengalpattu, Distt. Kancheepuram – 603001, Tamilnadu** shall be entitled to be registered only in the State of Tamilnadu subject to orders of the **State government of Tamilnadu**.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./655/2022-23]